तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलमद जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

M 08/2012 नवल कंवर बनाम गोवर्धन कंवर वगैरह

दिनांक	कार्यवाही विवरण	तामील
30.06.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से पूर्नवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सपिठत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। व प्रार्थना पत्र मे यह निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय मे आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2008 के विरूद्ध प्रथम अपील वास्ते बहस दिनांक 04.05.2011 को नियत थी, जिसमे विपक्षी अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता उपस्थित नही हो सके जिससे अपील अदम हाजरी मे निरस्त कर दी। प्रार्थना पत्र मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट स्वंय उपस्थित नही हो रहे थे। अधिवक्ता अन्य कार्यो मे व्यस्त थे इस कारण अपील अदम हाजरी मे निरस्त कर दी गई। यह भी निवेदन किया कि अपील कृषि आराजीयात की होकर अचल सम्पत्ति है जिसका निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। आदेश की जानकारी दिनांक 29.07.2020 तक नही थी। दिनांक 30.12.2020 को नकल प्राप्त की व धारा 5 कानून म्याद अधिनियम के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्तागण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। प्रार्थीगण की भी बहस सुनी गई। तत्पश्चात् न्यायालय हाजा के द्वारा प्रार्थना पत्र मे हुए विलम्ब को धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया व उक्त अपील को पुनः नम्बर ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु नियत की गई। जिसके विरूद्ध यह पूर्नवलोकन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की पूर्नवलोकन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत आदेश दिनांक 03.03.2022 का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि भंवरसिंह उर्फ देवीसिंह द्वारा पैरवी की जाती रही है, जबकि उसका स्वर्गवास हो चुका था। भंवरसिंह उर्फ देवसिंह मुतफ्रिक प्रार्थना पत्र मे भंवरसिंह उर्फ देवीसिंह प्रार्थी सं. 2 रहा है जिसका स्वर्गवास हो चुका था जिसके वैधानिक वारिस को रेकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण पूर्व निर्णय मे किया गया है। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, जबकि आदेश 41 नियम 19 जाप्ता दिवानी के प्रार्थना पत्र मे तखतसिंह पिता खुमानसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि आदेश 41 नियम 19 के प्रार्थना पत्र मे भंवरसिंह उर्फ देवीसिंह के द्वारा पैरवी की जाना बताया है। उक्त तथ्यो के आधार पर पूर्व निर्णय दिनांक 03.03.2022 मे प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनिमय मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश 41 नियम 19 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण सं. डिक्री 50/2008 को पुनः संस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि आदेश 41 नियम 19 जाप्ता दिवानी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नही होने से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पुर्नवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुत्तफ्रिक प्रार्थना पत्र क्रमांक 01/2021 मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 जाप्ता दिवानी म्याद बाहर मानते हुए निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

फलस्वरूप पूर्नवलोकन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मुत्तफ्रिक प्रार्थना पत्र क्रमांक 01/2021 निर्णय व आदेश दिनांक 03.03.2022 निरस्त किया जाकर अपील क्रमांक डिक्री 50/2008 मे पारित आदेश दिनांक 04.05.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)